कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–माध्य/सी–1/स्थानांतरण/संस्कृत/2019–20 दिनांक –29.09.2019 के तहत् श्रीमती सोनू बोराणा, व्याख्याता, संस्कृत राउमावि संतोकपुरा, भीलवाड़ा का स्थानांतरण राउमावि डोली, जोधपुर किया गया। श्रीमती सोनू बोराणा द्वारा स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सी. अपील संख्या 581/2019 सोनू बोराणा बनाम सरकार दायर की गई।

अपील संख्या 581/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.10.2019 द्वारा अपीलार्थी श्रीमती सोनू बोराणा को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (SPEAKING ORDER) द्वारा निर्धारित समय सीमा में निस्तारित किये जाने संबंधी आदेश दिए। अपीलार्थीया के अभ्यावेदन निस्तारण तक माननीय न्यायालय द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2019 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन याचिकार्थीया के संबंध में स्थगित रखा गया।

माननीय न्यायालय निर्णय के क्रम में अपीलार्थी श्रीमती सोनू बोराणा द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन कर स्वयं के परित्यकता के आधार पर अपना पदस्थापन राउमावि संतोकपुरा, भीलवाड़ा में यथावत करने की संबंधित परिवेदना प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरागंना से प्राप्त परिवेदनाओं को ही प्राथमिकता से स्थानान्तरण किये जाने के निर्देश प्राप्त थे।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थी द्वारा की गई मांग इनका अभ्यावेदन/परिवेदना एतद् द्वारा स्वीकृत करते हुए इनका पदस्थापन राउमावि संतोकपुरा, भीलवाड़ा में व्याख्याता संस्कृत के रिक्त पद पर पदस्थापित कर अभ्यावेदन निस्तारण किया जाता है। श्रीमती सोनू बोराणा को निर्देशित किया जाता है कि ये अपने समायोजित स्थान पर व्याख्याता संस्कृत के रिक्त पद पर दिनांक 25.10.19 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करें।

सभी पक्षकार सूचित होवें।

(नथमल डिडेल)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/सी–1/संस्कृत/अपील सं. 581/सोनू बोराणा/2019/ दिनांकः– २१/10/19

➢ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, भीलवाड़ा को निर्देशित किया जाता है कि वे सोनू बोराणा के निर्धारित तिथि तक स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किये जाने की स्थिती में उनके विरूद्ध सीसीए–17 में विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव इस कार्यालय के विभागीय जाँच अनुभाग–प्रथम को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जोधपुर।
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा को मय आवश्यक संलग्नक आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्राधानाचार्य
9. श्रीमती सोनू बोराणा व्याख्याता, संस्कृत।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)